न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 46/2019

पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन समाज मन्दिर किला बेगूँ द्वारा भागचन्द्र टोंग्या नि0 तहसील बेगूँ

बनाम

दौला पिता देवा जी माली निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वाद अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

उपस्थित ::– श्री बी.के.भट्ट
अधिवक्ता वादी
श्री गोपालाल गुरूजी
अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश दिनांक :–27.05.2024.

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी

दावा पत्रावली में दिनांक 06.12.2005 को अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 जा.दी. के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन प्रार्थना पत्र में इस प्रकार से किया गया कि उक्त अनवान का एक दावा न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है जिसमें शहादत प्रतिवादीएगा हेतू दिनांक 18.10.2005 परन्तु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने यह जाहिर किया कि प्रतिवादी दोला दिनांक 19.11.2004 को फोत हो गया जिसके वारिस रिकोर्ड पर लाए जाने चाहिए। जिससे अदालत श्रीमान ने वादी को दौला के वारिसों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह कि उक्त पत्रावली पूर्व में पेश से पूर्व राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ में विचाराधीन थी और रिमाण्ड होकर आई थी राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जाहिर नहीं किया प्रतिवादी दोला फोत हो चुका है जिससे समय पर दौला के वारिसों को रिकोर्ड पर नहीं पेश कर सके। प्रतिवादी दोला के निम्न वारिस है जिनकी सूची पेश है।

1– श्रीमति मोहनीबाई बेवा दोला माली निवासी बेगूँ
2– श्री प्रभूलाल पिता दोला माली निवासी बेगूँ
3– श्री कैलाश पिता दोला माली निवासी बेगूँ
4– श्री कन्हैयालाल पिता दोला माली निवासी बेगूँ
5– श्रीमति कलाबाई पिता दोला माली पति कालू माली निवासी सवाईपुर तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
6– श्रीमति कंचनबाई पिता दोला माली पति नूरा माली निवासी बेगूँ

उपरोक्त सूचीबद्ध किए प्रतिवादी मृतक दोला के वारिस है जिनको मृतक दोला के बजाय प्रतिवादीगण बनाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र की चरण सं. 2 में वर्णित विपक्षीगण को प्रतिवादी मृतक दोला के वारिस माने जाकर प्रतिवादी दोला मृतक के बजाय प्रतिवादीगण बनाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद का प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि दौला की मृत्यु दिनांक 19.11.2004 को हो गयी जिसकी जानकारी वादी को नही थी उक्त पत्रावली अपील में गई हुई थी। वकील प्रतिवादी ने दोला के फोत होने की जानकारी नही दी जिससे समय पर प्रतिवादी दोला के वारिसो को रिकोर्ड पर नहीं ला सके। यह कि दिनांक 18.10.2005 को वक्त सुनवाई प्रतिवादी के वकील ने जाहिर किया कि प्रतिवादी दोला फोत हो चुका है। तब वादी को जानकारी हुई वादी ने कोई लापरवाही नहीं की। जानकारी के अभाव में दौला के वारिसो को रिकोर्ड पर नहीं ला सके। देरी कारण माकूल है और प्रकरण के निस्तारण एवं पक्षकारो को सही न्याय मिले जिसके लिए दौला के वारिसो को प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मियाद में शुमार किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 जा.दी. की प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त की गई है। तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रतिवादीगण ने दोला की मृत्यु होने का कथन किया बावजूद कथन के भी वादी ने समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे समय पर कायम मुकाम नहीं हो सके तथा वादी ने देरी से अवधिपार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे वाद पत्र अबेट हो गया है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है झूठे तथ्य दर्शाए है एवंव प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में जो 1 से लगायत 6 तक विपक्षी अर्थात मोहनीबाई , प्रभूलाल , कैलाश, कन्हैयॉलाल ,कलाबाई कंचनबाई पिता दोला जी माली दशाये है परन्त इसमें से भी कन्हैयॉलाल माली की मृत्यु हुए करीब 6 वर्ष हो गये है एवं इसी तरह कंचनबाई की मृत्यु हुए भी करीब 8 वर्ष हो गये है। उक्त तथ्यो की जानकारी वादी को होते हुए भी वादी ने दोला के बजाय कायम मुकाम हेतु समय पर प्रार्थना पत्र कायमी मुकाम हेतु प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये एवं वादपत्र को अबेट फरमाया जावें।

जबाव के विशेष कथन में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में रूपा पिता देवा जी भी पक्षकार है एवं रूपा पिता देवा जी की भी मृत्यु हो गई है तथा रूपा जी करीब 12–13 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो गये है

47

जिससे भी मृतक रूपा के वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाना आवश्यक था जिससे मृतक रूपा के वारिसान को कायम मुकाम नहीं बनाये जाने से वाद पत्र अवेट फरमाया जावें।

अतः प्रार्थनार है कि प्रतिवादी कन्हैयॉलाल कंचनवाई रूपा जी की मृत्यु हो चुकी है तथा अंदर अवधि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया न ही समय अवधि को व्यतीत करने हेतु मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया जिससे वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे एवं विशेष हर्जाना दिलाया जावें।

पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण में जब अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी दौला की मृत्यु होने की जानकारी दी तभी प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत कर दिया था चूंकि पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ है जिसके लिए समय रहते समयअवधि अधिनियम के तहत दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, यह पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर से प्राप्त होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा ली जाकर अब जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन अंकित किये है, समय पर ही प्रतिवादी दौला की मृत्यु होने की जानकारी दे दी गई थी, किन्तु जानबूझ कर विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि यह प्रार्थना पत्र नियम से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगए के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में ही प्रस्तुत कर देना चाहिए था। साथ ही जो प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 जा.दी. का प्रस्तुत किया है उसमें से मृतक दौला के जो वारिसान अंकित किए है उनमें कन्हैयॉलाल व कंचनवाई की भी मृत्यु हो चुकी है यानि सही जानकारी प्राप्त करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसके अलावा इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 रूपा की मृत्यु भी हो चुकी है जिनके भी कायम मुकाम रिकोर्ड पर नही लाये गये है। इस प्रकार यथासमय मृतक पक्षकारान के वारिसान को रिकोर्ड पर नहीं लाये जाने से वादी का वादपत्र अवेट किया जाने का आदेश फरमावें।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में पाया कि काफी लम्बे समय से मृतक पक्षकारान के कायम मुकाम नहीं हुए है, जबकि प्रतिवादी दौला की मृत्यु 2004 में हो जाने के उपरान्त भी उनके वारिसान को आज दिनांक तक रिकोर्ड पर नहीं लाया गया है, मृतक वारिसान को रिकोर्ड पर लाये जाने की नियत अवधि 90 दिवस की होती है जबकि 20 साल से कुछ नही किया गया है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 रूपा की मृत्यु हुए भी 16 साल हो चुके है। हमारी विनम्र राय से यदि न्यायालय में मामला विचाराधीन है तथा विचाराधीन प्रकरण के दौरान यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो नियत अवधि में ही उसके वारिसान को उसके स्थान पर रिकोर्ड में संस्थापित किया जाना अनिवार्य होता है क्यो कि मृतक पक्षकारान की सुनवाई न्यायालय में नही की जा सकती है। यदि यह दावा पत्रावली किन्हीं उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन थी तो भी समय रहते कायम मुकाम की कार्यवाही सम्बन्धित अधिवक्ता को या वादीगण को की जानी चाहिए थी जो समय पर नहीं की गई है। वादीगण का वाद पत्र अवेट किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सी.पी.सी मृतक प्रतिवादी दौलता के वारिसान को समय पर दावा पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाये जाने से एवं प्रतिवादीसं. 2 रूपा की मृत्यु होने पर भी उनके वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र समय रहते प्रस्तुत नहीं किया जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 निय 2 जा.दी. का खारिज करते हुए मृतक प्रतिवादी दौला एवं मृतक प्रतिवादी रूपा के वारिसान को रिकोर्ड पर समय पर पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा वादी का अवेट किया जाता है।

आदेश दिनांक 27.05.'2024 .को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगू